

## कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2013, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 27, 2013

### आदेश

उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्द्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 57 में सन्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह फरवरी 2014 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम संलग्न तालिकानुसार निर्गत किया जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार संसूचित किया जायेगा।

ह0 27.12.13

(ए0एच0 खान)

एच.जे.एस.

अध्यक्ष,

वाणिज्यकर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संलग्नक: यथोक्त।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 3338/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि युगल पीठ गठन सम्बन्धी आदेश की एक प्रति राज्यप्रतिनिधि को भी हस्तगत करायी जाये तथा युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक आगन्तुक सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण के ठहरने की सरकारी व्यवस्था वाणिज्यकर अधिकरण के स्थानीय सदस्य द्वारा प्रत्येक दशा में अपने स्तर से सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त सदस्य, युगल पीठ कार्यक्रम की प्रति स्थानीय बार को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश वाणिज्यकर बार एसोसिएशन, को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण, जो टैक्स बार एसोसिएशन, उ0प्र0 के सदस्य हों, को अपने स्तर अवगत करायें।
4. श्री शिव कुमार अरोरा, अध्यक्ष, उ0प्र0 टैक्स बार एसोसिएशन, एस.एस.कालेज रोड, जमुना विहार, खतौली, मुजफ्फरनगर व श्री अशोक कुमार अग्रवाल, महासचिव, उ0प्र0 टैक्स बार एसोसिएशन, न्यू कालोनी, देवरिया को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. श्री आर0एस0 गोयल, अधिवक्ता टैक्सयों एकेडमी एण्ड वेलफेयर फोरम वेस्टर्न उ0प्र0, 52 नगर निगम कम्पाउण्ड, केसरगंज, घंटाघर रोड, मेरठ सिटी को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण, जो टैक्स बार के सदस्य हों, को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित पीठ के मुन्सरिम/अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि नियत युगल पीठ में पुराने वादों को पर्याप्त मात्रा में नियत करें।
7. वरिष्ठ लिपिक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबन्धक

वाणिज्यकर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

